95

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्षः—श्री एम0के0 सिंह**
**सदस्य**

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1245—एक/2010 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—07—2010 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 123/2007—08/निगरानी

.....

रामराज सिंह पुत्र दशरथ सिंह ठाकुर
निवासी —ग्राम चन्द्र पुरा परगना मेंहगाव,
जिला—भिण्ड (म0प्र0)

..... आवेदक

**विरूद्ध**

1— सुरेन्द्र सिंह पुत्र दशरथ सिंह
2— उदय सिंह पुत्र नारायण सिंह
3— जय सिंह पुत्र नारायण सिंह
4— रामाधीन पुत्र नारायण सिंह
निवासीगण— ग्राम चन्द्र पुरा परगना मेंहगाव,
जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री कुवंर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदक
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1

.....

## आदेश

(आज दिनांक 6-11-2018 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—07—2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 ( जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षिप्त यह है कि तहसील मेंहगाव के ग्राम चन्द्रपुरा में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 181/1 नया नम्बर 58 का नक्शा में स्थल अनुसार नंबर सुधार किये जाने, पुराना नम्बर 467/1 नया नम्बर 316 में दुरूस्त करने एवं पुराना नम्बर 225 नया नम्बर 173 में नक्शे में सुधार कर शामिल किये जाने बावत एक आवेदन पत्र अनुविभागीय

अधिकारी, मेंहगाव के समक्ष अनावेदक क्र0 1 सुरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगाव द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/2001–2002अ–5 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 11.06.2002 से अनावेदक क्र0 1 सुरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगाव द्वारा आदेश दिनांक 11.06.2002 से पारिवेदित होकर आवेदक रामराज सिंह द्वारा अपील न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 131/2002–03/अपील माल पर दर्ज करते हुये, पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 05.08.2006 से अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगाव द्वारा आदेश दिनांक 11.06.2002 को निरस्त करते हुये, प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगाव को प्रत्यावर्तित किया। अपर कलेक्टर, जिला–भिण्ड द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 05.08.2006 से दुखी होकर अनावेदक क्र0 1 ने निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे अपर आयुक्त चम्बल ने अपने प्रकरण क्रमांक 123/2007–08/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.07.2010 से निगरानी स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनावेदक क्र0 1 सुरेन्द्र सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी लगभग 2 वर्ष के बाद प्रस्तुत की है, जो प्रथम दृष्टि में ही अवधि वाह्य थी । सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण तथा मौके की स्थित के अनुसार सही नक्शा बनाया गया था, जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु उसके बाद भी अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव द्वारा आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की थी। आदेश पारित करने से पहले अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा आवेदक को बिना सूचना दिये तथा बिना सुनवाई के एक तरफा में आदेश पारित किया गया था, जिसे अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई एवं स्थल निरीक्षण करने के बाद प्रकरण का निराकरण करने के लिये प्रत्यावर्तित किया है । अनावेदक क्र0 1 को अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव के न्यायालय में अभी सुनवाई का अवसर प्राप्त है, वह अपनी बात कह सकता है । अनावश्यक रूप से प्रकरण को लंबित किया जा रहा है । अतः अपर कलेक्टर, भिण्ड का आदेश विधिसंगत है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि का अध्ययन करते तो ज्ञात होता कि अनावेदक क्र0 1 द्वारा लगभग 02 वर्ष विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है, जिसे अपर आयुक्त ने स्वीकार

में भूल की है । अतः ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक क्र0 1 के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है । शेष पक्षकार सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । सर्वप्रथम तो अवधि के बिन्दु पर विचार किया जाना है । अनावेदक क्र0 1 को ग्राम में चर्चा के दौरान पता चला कि प्रकरण का निराकरण हो चुका है, उसके द्वारा जानकारी दिनांक से निगरानी अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिसे अन्दर अवधि मान्य की जावे। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि अभिभाषक की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दिया जा सकता है । पक्षकार अपने अभिभाषक को सारे हक जो प्रकरण में सुनवाई के लिये होते है, दे देता है, और अभिभाषक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने अभिभाषक को समय–समय पर होने वाली कार्यवाही से अवगत कराता रहे। इसके लिये पक्षकार अभिभाषक को शुल्क अदा करता है । ऐसी स्थिति में अभिभाषक द्वारा पक्षकार को धोखे में रखा गया ।

7/ प्रकरण में जहां तक आवेदक के अभिभाषक का यह कहना है कि विद्वान अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा आवेदक रामराज सिंह को नोटिस जारी किया गया था, जिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा यह टीप अंकित की गई थी, कि रामराज सिंह के पिता का नाम सही नहीं है, इसलिये तामील का निर्वाह नहीं हो सका। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा सही पता व तलावाना पेश करने के आदेश किये गये थे । बिना तामील जारी किये व बिना सुने आदेश पारित किया गया था। यह सही नहीं है। सच यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा दिनांक 26.06.2001 को आवेदक रामराज सिंह को नोटिस जारी किया गया था, जिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा पिता का नाम सही न होने से तामील वापिस न्यायालय को पेश की गई । जब तक प्रकरण में सही पता व तलवाना पेश होता तब तक रामराज सिंह की ओर से अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश किया जा चुका था, जो अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव की प्रकरण पत्रिका में सलंग्न है । वकालतनामा पेश हो जाने के कारण नोटिस जारी करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । इस प्रकार अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा यह

मानकर कि आवेदक रामराज को नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही उसे सुना गया, गलत है । अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव से प्राप्त प्रकरण पत्रिका का भलीभांति अवलोकन नहीं किया गया, यदि किया जाता तो यह सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती। अपर कलेक्टर, भिण्ड के द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं है । इसी स्तर पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपर कलेक्टर, भिण्ड के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है और अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा है । मैं अपर आयुक्त के इस आदेश से सहमत हूँ । क्योंकि यदि बार–बार प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया जाता रहा तो न्याय अर्थहीन हो जावेगा ।

8/ ऊपर दिये गये वर्णित तथ्यों के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2010 विधिसंगत है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है तथा निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर